न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक : 14/10

चम्पा आत्मज मुरल्या जाति रेगर निवासी बन्धा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 249 की 1.91 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है जिसे वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी की अंकित जाति गुर्जर के स्थान पर रेगर दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और वादी को उक्त भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 से व्यथित होकर वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर रूपये पैसों के इंतजाम करने हेतु गॉव चला गया और वहॉ पर दीपावली में व्यस्त रहा और बाद में मियादी बुखार आ गया जिससे वह उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट जाति से रेगर है उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित हुई थी जिस पर अपीलान्ट 30 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज की गई । आवंटन के समय उक्त आवंटित भूमि नगर निगम सीमा में नहीं थी । सेटलमेंट के बाद भी नगर निगम सीमा में नहीं थी इस कारण अपीलान्ट वादी को आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया जाकर खातेदार घोषित कर दावा वादी डिक्री करना चाहिए था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णय पारित कर दावा वादी खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट आवंटन की दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का सदैव से कब्जा चला आ रहा है । राज्य सरकार के आदेशानुसार जो नगर निगम सीमा में भूमियॉ है उनकी खातेदार डीएलसी दर की 20 प्रतिशत की राशि लेकर खातेदारी देने का प्रावधान व नियम प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया है । उक्त आदेश व नियम पूर्व में 30 वर्ष पूर्व हुए आवंटन पर लागू नहीं होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2013 निरसत किया जाकर वादी अपीलान्ट का वाद रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादी को ग्राम बंधा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा की आवंटित भूमि आराजी खसरा नम्बर 249 की 1.91 हैक्टर भूमि पर गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नगर निगम सीमा में स्थित होने से डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि चुकाने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है । वादी अपीलान्ट द्वारा उक्त राशि संदाय करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वादी अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाना संभव नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

परिसीमा मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पक्ष में खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी नगर निगम सीमा में स्थित होने से डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि चुकाने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है । वादी अपीलान्ट द्वारा उक्त राशि संदाय करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वादी अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाना संभव नहीं है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/10

चम्पा आत्मज मुरल्या जाति रेगर निवासी बन्धा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 36/दावा/2012

चम्पा आत्मज मुरल्या जाति रेगर निवासी बन्धा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर यादव एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 09.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा